पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में ए.टी
चंडीगढ़

2012 का सीआरएम-एम-37116 (ओ एंड एम)
निर्णय की तिथि: 09.10.2013

गीता कपूर और अन्य. ......याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य। .... उत्तरदाता

कोरम:- माननीय श्रीमान। जस्टिस जितेंद्र चौहान

प्रस्तुति: पं.हरिओम शर्मा, अधिवक्ता,
याचिकाकर्ताओं के लिए.

श्री आरएनभारद्वाज, एएजी हरियाणा।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए श्री नमित खुराना, वकील।
****
जीतेन्द्र चौहान, जे.

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता-श्रीमती गीता कपूर (सास) और सुश्री रेनू भाटिया (ननद) द्वारा आपराधिक शिकायत संख्या 120 दिनांक 27.07.2009 को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसका शीर्षक अंजू कपूर बनाम है। संजीव कपूर और अन्य, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 12 (यहां 'डीवीएक्ट' के रूप में संदर्भित) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी की अदालत में लंबित हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता अंजू कपूर-प्रतिवादी नंबर 2 ने पहले संजीव कुमार (पति), कुलदीप राय (पिता) के खिलाफ पुलिस स्टेशन फरकपुर में धारा 498-ए , 406 आईपीसी के तहत दिनांक 22.03.2007 को एफआईआर संख्या 89 दर्ज कराई थी। -ससुर), गीता कपूर (सास) और रेनू भाटिया (ननद)। जांच के बाद याचिकाकर्ता संख्या 2-श्रीमती रेनू भाटिया को निर्दोष पाया गया और उन्हें धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट में कॉलम नंबर 2 में रखा गया, इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा धारा 319 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया 2013.11.06 10:59 याचिकाकर्ता नंबर 2 को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए। 2012 के सीआरएम -एम-37116 (ओ एंड एम) -2- आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी द्वारा दिनांक 13.08.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। शिकायतकर्ता श्रीमती अंजू कपूर (यहां प्रतिवादी नंबर 2) ने सत्र न्यायाधीश, यमुनानगर के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण में दिनांक 13.08.2010 के आदेश को चुनौती दी, जिसे 21.04.2011 को खारिज कर दिया गया। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि तथ्यों के समान सेट पर, घरेलू और हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत शिकायत झूठ नहीं बोलती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 468 एक महिला के साथ क्रूरता की तारीख से डीवीएक्ट, 2005 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए केवल एक वर्ष की सीमा निर्धारित करती है। वह इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल बनाम में शीर्ष अदालत के फैसले के पैरा 24 का हवाला देते हैं। पंजाब राज्य-2011 (4) हालिया आपराधिक रिपोर्ट (आपराधिक) पृष्ठ-1। विद्वान वकील ने बताया कि शिकायत के अनुसार क्रूरता का कथित कृत्य दिनांक 19.01.2007 का है, जबकि विवादित शिकायत 27.07.2009 को दायर की गई थी और प्रस्तुत किया गया था कि शिकायत एक वर्ष से अधिक पुरानी है और याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नंबर 1- श्रीमती गीता कपूर (सास) पर धारा 406 , 498-ए के तहत तथ्यों के समान सेट पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आई.पी.सी. यह दोहरा ख़तरा है. उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 श्रीमती गीता कपूर 70 वर्ष से अधिक उम्र की हैं, बुढ़ापे की बीमारी से पीड़ित हैं और प्रतिवादी नंबर 2 और उनके बेटे से अलग रह रही हैं। वकील ने तर्क दिया कि दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ डीवीएक्ट के तहत शिकायत कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जा सकता है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील ने इस आधार पर प्रार्थना का विरोध किया कि याचिकाकर्ताओं ने समन आदेश को चुनौती नहीं दी है और यह याचिका विचारणीय नहीं है।

इस न्यायालय ने पार्टियों के विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है।

इस मामले में, निर्धारण के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं:-

(i)क्या डीवी अधिनियम, 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की सीमा एक वर्ष है?

(ii) क्या डीवीएक्ट के तहत शिकायत कायम रखने योग्य है, जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत मामला पहले से ही लंबित है?

बिंदु संख्या (i) इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल का मामला कानून (सुप्रा) मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता है। उद्धृत मामले में पक्षों के बीच तलाक की डिक्री थी। उद्धृत मामले के कानून में पार्टियों के बीच संबंध समाप्त हो गया। सही दृष्टिकोण यह है कि तलाक की डिक्री के मामले में कार्यवाही दायर करने की सीमा केवल एक वर्ष है। लेकिन इस मामले में आज भी पति-पत्नी का रिश्ता कायम है. डीवीएक्ट का उद्देश्य, संविधान के तहत गारंटीकृत उन महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। इसलिए, यह माना जाता है कि पति और पत्नी के मौजूदा रिश्ते के मामले में, कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह है कि डीवीएक्ट के तहत शिकायत किसी भी समय दर्ज की जा सकती है क्योंकि परिवार के भीतर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न एक सतत अपराध है।

बिंदु संख्या (ii) तय किया जाने वाला अगला बिंदु यह है कि क्या तथ्यों के एक ही सेट पर, दो अलग-अलग कार्यवाही एक आईपीसी की धारा 198-ए के तहत और दूसरी डीवीएक्ट, 2005 के तहत चलने योग्य है या नहीं।

घरेलू हिंसा अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है और कार्यवाही को नागरिक प्रकृति के रूप में समझा जाना चाहिए। जहां तक राहतों का सवाल है, केवल अगर आदेशित राहतों का पालन नहीं किया जाता है, तो कार्यवाही को आपराधिक बनाने का प्रावधान आता है। लेकिन धारा 498-ए आईपीसी के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है , जिस पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्यवाही लागू होती है। आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराधी को केवल संहिता के तहत प्रदान की गई सजा ही दी जाती है। डीवीएक्ट के तहत एक शिकायत में, विभिन्न कानूनों के तहत दिए गए एक महिला के अधिकारों की रक्षा और कार्यान्वयन किया जाता है। एक महिला को विभिन्न राहतों जैसे कि बच्चों की हिरासत, भरण-पोषण, निवास का अधिकार आदि आदि के लिए अलग-अलग मामले दायर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह डीवीएक्ट के तहत कार्यवाही दायर करके विभिन्न राहतों का दावा कर सकती है। इसलिए, दोनों मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं और इनका एक-दूसरे पर कोई असर नहीं है। हालाँकि, डीवीएक्ट के तहत कार्यवाही में एक मजिस्ट्रेट अपराधी को सजा देने के लिए आईपीसी की धारा 498-ए भी जोड़ सकता है। डीवीएक्ट के तहत कार्यवाही, समन प्रकृति की है और पीड़ित को तत्काल राहत दी जानी है। डीवीएक्ट का मुख्य उद्देश्य, एक असहाय महिला को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उसे पति के घर से बेदखल न किया जाए या ससुराल के परिवार के सदस्यों के कृत्यों द्वारा उसे ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर न किया जाए। इसके अलावा, ससुराल में आश्रय की अनुमति देते हुए, उसे अपने पति के खजाने से वित्तीय सहायता भी दी जाती है, लेकिन संहिता की धारा 498-ए के तहत यह प्रदान नहीं किया जाता है।

इसलिए, हमारे कानून निर्माताओं की मंशा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि दोनों कार्यवाही अलग-अलग प्रकृति की हैं और अलग-अलग दायर की जा सकती हैं। इस मामले में डीवी अधिनियम के तहत कार्यवाही , आईपीसी की धारा 406 , 498-ए के तहत मामले के तथ्यों के समान सेट पर जारी रह सकती है ।

2012 का सीआरएम-एम-37116 (ओ एंड एम) -5- तदनुसार, यह संहिता की धारा 482 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह याचिका खारिज की जाती है।

(जितेंद्र चौहान) 09.10.2013 जज अनिल क्या रिपोर्टर को संदर्भित किया गया था: हाँ।

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्णवादी के सीमित उपयोग के लि एहैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयर्ण का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव

प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,

हरियाणा